

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/62/2019

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री अजीत कुमार यादव एडवोकेट चैम्बर 63
कचहरी परिसर, अलवर।

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद
अधिकारी, अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 17.09.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 08.04.2019 के माध्यम से संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.08.2018 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब नहीं भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वाँछित बिन्दुओं का दस्तावेजात का निरीक्षण नहीं कराया गया है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को दस्तावेजात का निरीक्षण नहीं कराया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावे, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी अवलोकन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र पुनः भेजकर अपने कार्यालय में आमंत्रित कर सूचना आवेदन के अनुसार कार्यालय में संधारित रिकार्ड का निरीक्षण करावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।
6. प्रायः यह देखने में आया है कि जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध पेश होने वाली अपीलों में नोटिस जारी करने के पश्चात् उनके यहाँ से ना ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है और ना ही नोटिस का जबाव प्राप्त होता है, नोटिस का जबाव प्राप्त न होने की स्थिति में प्रायः अपीलों स्वीकार करनी पडती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त अपीलों में जारी नोटिस के उपरान्त जबाव प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
9. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राज०)